UPSR010012672026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

जमानत आवेदन पत्र संख्या–476/2026

राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र राम भुलावन पाण्डेय, निवासी पाण्डेयपुरवा, मौजा लक्ष्मनपुर गोड़पुरवा, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश। .....अभियोगी।

सत्र वाद संख्या– 134/2024

मुकदमा अपराध संख्या–91/2018

धारा–379, 411, 413, 420, 467, 468, 471 भा०दं०सं०

थाना– भिनगा, जिला–श्रावस्ती।

दिनांक–11.06.2026

1– यह जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी/अभियुक्त राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत आवेदन पत्र में यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.01.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था, परन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मेहनत मजदूरी हेतु बाहर चला गया था, जिस कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वारण्ट जारी कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को अ०सं० 328/2020 में दिनांक 21.10.2020 को कोतवाली भिनगा की पुलिस द्वारा संलिप्त कर चालान कर दिये जाने के कारण वह न्यायालय नहीं आ सका। न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2024 को प्रार्थी/अभियुक्त को तलब कर उसका अभिरक्षा वारण्ट बनाया गया। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने के बाद जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमा निस्तारण में सहयोग करेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना है।

3– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, परन्तु उसके उपस्थित न आने से

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.06.11 15:25:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली का विचारण प्रभावित हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

4– जमानत आवेदन पत्र पर बचाव पक्ष की ओर से विद्वान चीफ एल०ए०डी०सी० व विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में पूर्व में न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.04.2018 के अनुपालन में जमानत पर रिहा था। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती पर आरोप पत्र दाखिल किया गया, जहां पर उसके न्यायालय पर उपस्थित न होने की दशा में दिनांक 20.10.2018 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानत अधिपत्र निर्गत किया गया। दिनांक 16.01.2024 को अभियुक्त न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती के समक्ष जिला कारागार से तलबी पर उपस्थित हुआ और उसका अभिरक्षा वारण्ट बनाया गया। पत्रावली सत्र न्यायालय को उपार्पित होने के बाद दिनांक 13.09.2024 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। पत्रावली वर्तमान समय में साक्ष्य हेतु नियत है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येत नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आता रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा। वह मजदूरी हेतु बाहर चले जाने व अन्य मामले में जिला कारागार में निरुद्ध हो जाने के कारण न्यायालय नहीं आ सका था। प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले काफी लम्बे समय से जिला कारागार में निरुद्ध है।

6– अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7– प्रार्थी/अभियुक्त **राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय** का जमानत आवेदन सत्र वाद संख्या–134/2024, मुकदमा अपराध संख्या–91/2018, धारा–धारा–379, 411, 413, 420, 467, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना– भिनगा, जिला–श्रावस्ती के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु० 50,000/– रुपये का स्वबंध पत्र, समान धनराशि की दो प्रतिभू व प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित आकर विचारण में सहयोग करने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है।

दिनांक–11.06.2026

(अमित कुमार प्रजापति)

अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।